न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/371
दायरा तिथि : 11.10.2022
आदेश तिथि : 04-06-2025
प्रार्थीगण :–

अक्षय माथुर पुत्र महेन्द्र माथुर जाति माथुर निवासी बेडल तहसील बाली वगैरा

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

अर्चना पत्नी नंदसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी जोधपुर वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 4/6/025

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम वरावल पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 188/25 रकबा 1.3186 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम वरावल पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 191/28 रकबा 0.3353 हैक्टर व खसरा नंबर 193/28 रकबा 0.8374 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2022/3636 दिनांक 30.12.2022 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम वरावल के खसरा नंबर 188/25 रकबा 1.3186 हैक्टर की संयुक्त खातेदारी भूमि प्रार्थी श्री अक्षय माथुर पुत्र महेन्द्र माथुर हि. 11/19 जाति माथुर व सुमन कंवर पत्नी अवधेश राज सिंह हि. 4/19 जाति राजपूत एवं स्वरूप कंवर पत्नी निमेन्द्रराज सिंह जाति राजपूत के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है। खतेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य विकल्प मौजुद है।
2. यह है कि रास्ते हेतु अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि मौजा वरावल के खसरा नंबर 191/28 व 193/28 के संलग्न लाल स्याही से दर्शित नक्शे अनुसार दक्षिणी पूर्वी दिशा की माठ से मांग की गई है, किन्तु उक्त मौके पर रास्ता मौजूद नहीं है।
3. यह है कि आवेदक की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त इन्हीं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 191/28 व 193/28 के उत्तरी पश्चिमी दिशा में मौके पर रास्ता गुजर रहा है तथा आवेदक मौके पर आवागमन हेतु उपयोग कर रहा है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है।
4. यह है कि मौके पर मौजूद रास्ता ग्राम बेडा के बेडा से दूदनी डामर सडक की सरहद से ग्राम वरावल के खसरा नंबर 30, 190/25, 193/28, 191/28 व 187/25 में से होकर आवेदक अपनी खातेदारी खसरा नंबर 188/25 की भूमि में आवागमन हेतु उपयोग मौके पर कर रहा है। अतः अन्य विकल्प में उक्त खसरों में से रास्ता प्रस्तावित है।

(मुहर: न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.))

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड़ अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/371
अनवान अक्षय माथुर वगैरा बनाम अर्चना वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

5. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	30	1.36 हैक्टर	गै.मु. मगरी	30X6.5=195 वर्गमीटर 50X9=450 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	190/25	4.0956 हैक्टर	बा.दो.	30X5X1/2=75 वर्गमीटर	अर्चना पत्नी नंदसिंह भाटी वगैरा
3	193/28	0.8374 हैक्टर	बा.दो.	156X9=1404 वर्गमीटर	अर्चना पत्नी नंदसिंह भाटी वगैरा
4	191/28	0.3353 हैक्टर	बा.दो.	82X9=738 वर्गमीटर	श्रीमती कन्या बाई पत्नी भोपसिंह जाति रावणा राजपूत वगैरा जमाबंदी अनुसार
5	187/25	3.5550 हैक्टर	बा.दो.	12X9=108 वर्गमीटर	श्रीमती कन्या बाई पत्नी भोपसिंह जाति रावणा राजपूत वगैरा

6. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 87480/– रूपये प्रति हैक्टर है।
7. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी को रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी प्रोसेस सर्विस व रजिस्टर्ड डाक से संभव नहीं होने से अप्रार्थीगण की तलबी अखबार में नोटिस छाया के माध्यम से करवाई गई। अप्रार्थी अचना भाटी, नंदसिंह व धनंजयसिंह की ओर से वकील श्री गणपतसिंह राजपुरोहित ने आयन्दा वकालतनामा प्रस्तुति हेतु अण्डरटेकिंग लिया परंतु आदिनांक तक वकालतनामा पेश नहीं करने से इनका जवाब अवसर बंद किया गया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में आदिनांक तक न्यायालय में वकालतन /असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उपस्थित वकुलाय की बहस नहीं गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम वरावल पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 188/25 रकबा 1.3186 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक :·F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम वरावल पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 188/25 रकबा 1.3186 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम वरावल पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 30 रकबा 1.36 हैक्टर एवं अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम वरावल पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 190/25 रकबा 4.0956 हैक्टर, खसरा नंबर 193/28 रकबा 0. 8374 हैक्टर, खसरा नंबर 191/28 रकबा 0.3353 हैक्टर व खसरा नंबर 187/25 रकबा 3.5550 हैक्टर में से **195+450+75+1404+738+108=2970 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

पेज लगातार..........03

न्यायालय उप - खण्ड अधि॰ बाली, जिला - पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/371

अनवान अक्षय माथुर वगैरा बनाम अर्चना वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 87480/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
30	1.36 हैक्टर	30X6.5=195 वर्गमीटर	9	1755X2=3510	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
		50X9=450 वर्गमीटर		4050X2=8100	
190/25	4.0956 हैक्टर	30X5X1/2=75 वर्गमीटर	9	675X2=1350	अर्चना पत्नी नंदसिंह भाटी वगैरा जमाबंदी अनुसार
193/28	0.8374 हैक्टर	156X9=1404 वर्गमीटर	9	12636X2=25272	अर्चना पत्नी नंदसिंह भाटी वगैरा जमाबंदी अनुसार
191/28	0.3353 हैक्टर	82X9=738 वर्गमीटर	9	6642X2=13284	श्रीमती कन्या बाई पत्नी भोपसिंह जाति रावणा राजपूत वगैरा जमाबंदी अनुसार
187/25	3.5550 हैक्टर	12X9=108 वर्गमीटर	9	972X2=1944	श्रीमती कन्या बाई पत्नी भोपसिंह जाति रावणा राजपूत वगैरा जमाबंदी अनुसार
		कुल 2970 वर्गमीटर		कुल 53460/– रूपये	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 53460/– (अक्षरे त्रेपन हजार चार सौ साठ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। निजी खातेदार द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2025/ 626–630
दिनांक : 04-6-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक अक्षय माथुर पुत्र महेन्द्र माथुर जाति माथुर निवासी बेडल तहसील बाली वगैरा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

आबादी नक्शा

N
नक्शा किस्तवार
ग्राम-बराबल
तह. बाली
जिला-पाली

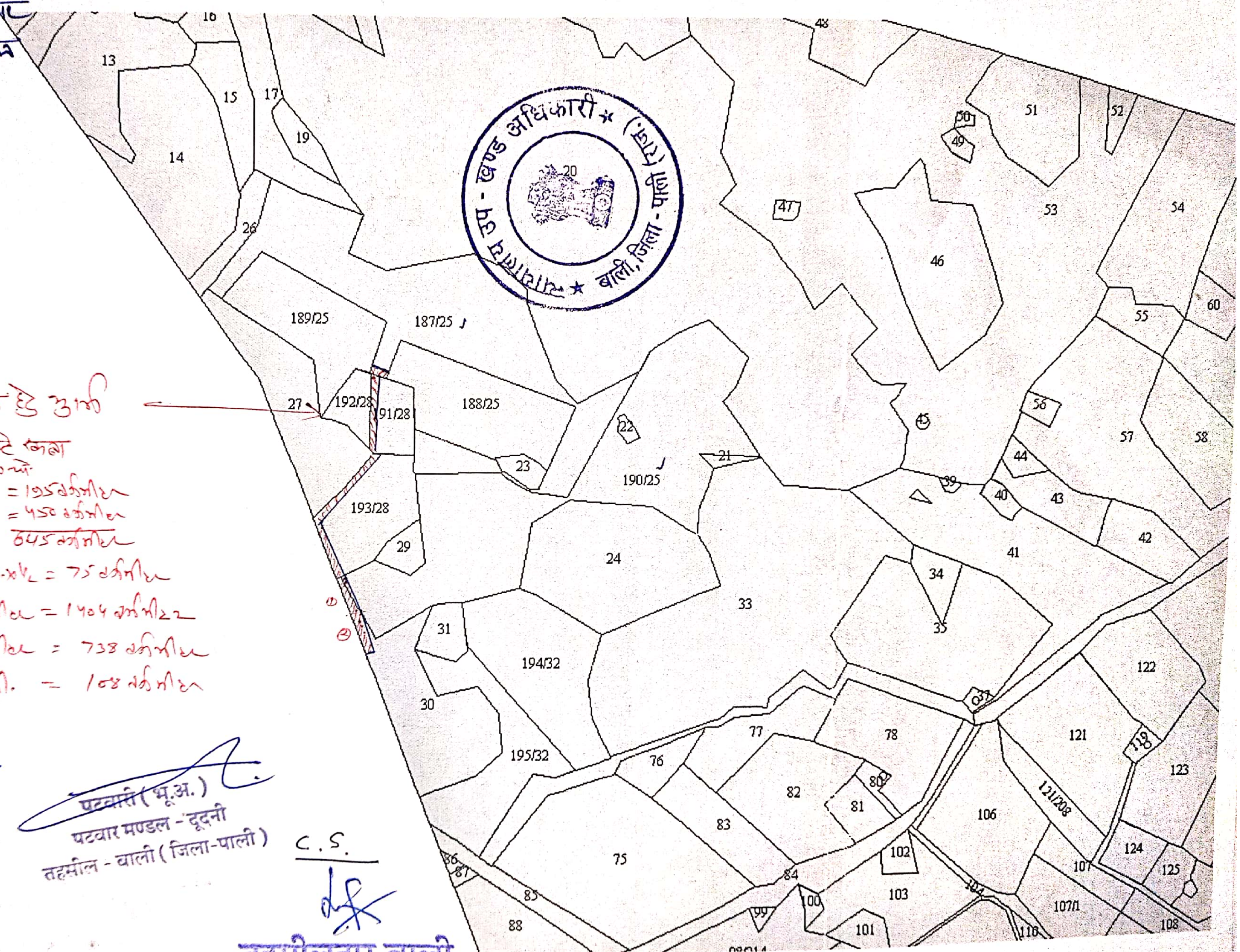

प्रभावित रास्ता हेतु अर्जी

खसरा नं. प्रभावित क्षेत्र का रकबा

① 30 — ① 30मी.×6.5मी. = 195 वर्गमीटर
② 30मी.×15मी. = 450 वर्गमीटर
645 वर्गमीटर

② 190/25 30मी.×2.5मी. = 75 वर्गमीटर

③ 193/28 156मी.×9मीटर = 1404 वर्गमीटर

④ 191/28 82मी.×9मीटर = 738 वर्गमीटर

⑤ 187/25 12मी.×9मी. = 108 वर्गमीटर

पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल - दूदनी
तहसील - बाली (जिला-पाली)

C.S.

तहसीलदार,बाली

Scanned with CamScanner